



“हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं और इससे अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बन रहा है। किसान के खर्च में भी कमी आई है और उसे कमाई का एक अतिरिक्त साधन भी मिला है।”
- नरेन्द्र मोदी



प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

75% अनुदान राशि पर 3 एच.पी. से 10 एच.पी. सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित है

- इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (Land Holding) के आधार पर किया जाएगा।
- लक्षित लाभार्थी चयन के उपरांत सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर/विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त होगी।



आवेदन
(saralharyana.gov.in)

पोर्टल
पर 23-10-2023 से
7-11-2023
तक

अधिक जानकारी के लिए

अपने जिले के अतिरिक्त
उपायुक्त कार्यालय
से सम्पर्क करें

अथवा

क्यू आर कोड
स्कैन करें



नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा

अदाय ऊर्जा भवन, सेक्टर-17, पंचकूला Ph: 0172-3504085
ई-मेल: hareda@chd.nic.in, Website: www.hareda.gov.in